प्रकरण संख्या 4/19 प्रभुलाल बनाम बाबुडिया

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.11.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फलीचडा में प्रार्थीगण व उनके भाई बहनों की आराजी नंबर 1497 से 1499, 1550, 1552, 1556, 1558, 1560 से 1562 व 1618 कुल किता 11 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। आराजी नंबर 1497, 1498, 1551, 1556 में आने जाने का रास्ता संलग्न नजीरी नक्शे में ए से एच तक दर्शा रखा है। इसी रास्ते से हमारे पूर्वज आते जाते थे, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, किन्तु विपक्षीगण आये दिन बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः संलग्न नजीरी नक्शे में ए से बी एवं जे से एच तक 15 फिट रास्ता प्रार्थीगण को दिलाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25.10.2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 08.03.2019 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 6, 8, 10, 13 व 14 की ओर से वकील श्री भावेश जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 व 16 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट द्वारा देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्णित कारण उचित प्रतीत होने से न्यायहित में दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली कि अपीलान्ट की आराजी नंबर 1495 व 1496 में से कभी कोई रास्ता नहीं थी न ही रेस्पोन्डेन्ट	

प्रकरण संख्या 4/19 प्रभुलाल बनाम बाबुडिया

संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त रास्ते का कभी उपयोग किया गया, बल्कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को आराजी नंबर 1550 में से रास्ता उपलब्ध था, जिसका उपयोग वह वर्षो से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा मात्र तहसीलदार की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् आदेश पारित कर दिया, जबकि उक्त रिपोर्ट अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र तहसीलदार की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को बिना सुने उसकी आराजी में से जो रास्ता दिया है वह प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है तहसीलदार सभी पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करें, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय उक्त रिपोर्ट पर पक्षकारों को विधिवत सुनकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.01.2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 4/19 प्रभुलाल बनाम बाबुडिया

प्रकरण संख्या 4/19 प्रभुलाल बनाम बाबुडिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Date: 2019.12.04 15:10:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: